तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 13/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/26) बअनवान विमला देवी बनाम ढलाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

विमलादेवी

बनाम

ढलाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री अजू बी जोस, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 09
3. श्री दीपसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 10

आदेश

दिनांक 25 मई 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2026 अनवान विमला देवी बनाम ढलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 जनवरी 2026 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 18 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम झालामण्ड तहसील कुडी भगतासनी में से रकबा 7 बीघा कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ढलाराम उर्फ प्रविन्द कुमार नरवाल पुत्र स्व. श्री दानाराम से दिनांक 01.12.2025 जरिये बेचान इकरारनामा खरीद की गई है। अपीलार्थीनी वक्त खरीद से आज दिन तक शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक काश्त कर रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 की नियत अपीलार्थीनी की कृषि भूमि पर गैर कानूनी कब्जा करने की रही है, जिसे वादीनी ने अपनी सजकता से विफल कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वय उक्त जायदाद संबंधी अपने अधिकार, जरिये बेचान इकरार श्रीमती

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 13/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/26) बअनवान विमला देवी बनाम ढलाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विमला देवी पत्नी स्व मुनीलाल को करके सुमाप्त किया, परन्तु इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 ने मिलीभगत कर वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर अपना गैर कानूनी कब्जा करने की फिराक में है, जिसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अपीलार्थीनी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात का पर कब्जा करने तथा मौके की स्थिति परिवर्तन करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट द्वारा विचाण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जनवरी 2026 को अपास्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या नौ व दस के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 18 रकबा 4.7915 हैक्टेयर वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या दस के नाम से खातेदारी में दर्ज भूमि है। अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार दर्ज नहीं है। कानूनन रेकर्डेड खातेदारान् को बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. को सुने बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार किया है। अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई

अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 13/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/26) बअनवान विमला देवी बनाम ढलाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या दस वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 18 रकबा 4.7915 हैक्टेयर का वर्तमान में खातेदार दर्ज है। अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार दर्ज नहीं है। कानूनन रेकर्डेड खातेदारान् को बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीनी द्वारा केवल इकरारनामा के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स को सुने बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार किया है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स की तामील उपरांत अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही का समुचित अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर